

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं. CICOM/A/2019/60076

दिनांक: 29.05.2019

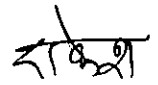
संदर्भ संचिका सं. CICOM/R/2019/50369

अपीलकर्ता : श्री खलीक अहमद सिद्दीकी,
519/11, गुलाब रोड,
इमामबाड़े की पीछे, रायबरेली ।

निर्णय की तारीख: 29.05.2019

ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	17.05.2019
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	23.05.2019
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी का नाम	श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा
ऑनलाइन प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	24.05.2019

1. अपीलकर्ता द्वारा ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से सूचना अधिकार अधिनियम में उपलब्ध प्रावधानों से संबंधित छ: बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल की गई है ।
2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन एवं आर.टी.आई. आवेदन) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता द्वारा उक्त आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि "सूचना अधिकार अधिनियम से संबंधित प्रावधानों की जानकारी हेतु सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 का अवलोकन करें । इसके अतिरिक्त अन्य कोई सूचना उपलब्ध नहीं है" । श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल तथ्यानुसार है एवं इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।
3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है ।
4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।



(आर. के. सिंह)

अपर सचिव एवं

प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

